निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 143/2017 तारीख दायरा 14.03.2017

उनवान

विमला बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि स्व. बाबूलाल जाति धाकड निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

— वादिनी

बनाम

1. प्रेमशंकर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।
2. द्वारकालाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।
3. राजस्थानराज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद। — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 34, 53, 188 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :—

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण) दिनांक :— 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

— निर्णय —

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी द्वारा एक वाद पत्र इस
न प्रस्तुत किया है कि वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त खाते एवं
स्त की माल ग्राम हींगी पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद के माल में की
157 के ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92
किता की कुल 1.52 है. आराजी स्थित है जिसमें राजस्व रेकार्ड जमाबंदी
वादिनी का 1/6 हिस्सा उक्त वादग्रस्त आराजी में निहित है। उक्त वर्णित
संबंध में पूर्व में आपसी सहमति से पारिवारिक विभाजन हुआ था जिसमें
आराजी में से वादिनी का 1/6 हिस्सा कब्जे व हिस्से में आया था, जिसको
ताबिक पारिवारिक विभाजन जो मौके पर आपसी सहमति से मौखिक रूप से
उस पर काबिज काश्त है तथा उक्त हिस्से का उपयोग–उपभोग करती चली
वादिनी के हिस्से पर प्रतिवादीगण को मदाखलत–मजामहत करने, वादिनी
काश्त करने में अडचन पैदा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

प्रतिवादीगण लडाई–झगडा करने वाले आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं,
के भाई हैं, परन्तु वादिनी से उक्त जमीन बाबत रंजिश रखते हैं और वादिनी
काबिज काश्त करने में अडचन पैदा करते हैं। वादिनी गरीब विधवा और
ला होने से उनका मुकाबला करने में असमर्थ होने से प्रतिवादीगण वादिनी
हिस्से से महरूम करना चाहते हैं। इसके लिए प्रतिवादीगण वादिनी के साथ
डा कर दबाव बनाकर चाहते हैं कि वादिनी भी अन्य बहनों की तरह विवादित
निहित हिस्से को प्रतिवादीगण के नाम रिलीज कर दे। उक्त उद्देश्य की
तिवादीगण वादिनी को अत्यधिक परेशान करने लगे हैं। वादिनी गरीब महिला
के लिये उक्त वर्णित आराजी में निहित स्वयं के हिस्से को बचाने के लिए
ी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय में वाद
रके स्वयं के हिस्से को विभाजित करवाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाये।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादिनी के हक में एवं विरूद्ध
ण निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे कि –

वादिनी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की
हींगी पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद के माल में खाता सं. 157 के
0 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. कुल 3 किता
1.52 है. आराजी में निहित वादिनी के 1/6 हिस्से का खाता विभाजन किया
राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाकर राज लगान पृथक से वादिनी के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

किया जावे तथा वादिनी के हिस्से की पैमाईश पटवारी हलका द्वारा करवाई जाकर कब्जा वादिनी को संभलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादिनी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत–मजामहत नहीं करें, ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी नौकर अथवा ऐजेन्टों से करावें। दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण वादिनी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर ले तो वादिनी को पुलिस सहायता प्रदान की जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 3 प्रकरण में फॉर्मल पक्षकार है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तलबी हो चुकी है, बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतीत होता है कि उन्हें वाद में वर्णित तथ्यों से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, अतः प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, नकल जमाबंदी, राजस्व रेकार्ड, बहस वकील वादी आदि के आधार पर वादिनी का वाद स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर दिनांक 05.10.2020 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार सांगोद को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात दिनांक 05.10.2021 को तहसीलदार सांगोद द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादिनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम हींगी पटवार हलका हींगी तहसील सांगोद के माल की खाता सं. 157 के ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. कुल 3 किता की कुल 1.52 है. आराजी स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादिनी को ख.न. 432 की 0.92 है. में से 0.25 है. (पूर्वी हिस्सा) आराजी का खातेदार खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. में से 67 है. (पश्चिमी हिस्सा) इस प्रकार कुल 3 किता की 1.27 है. आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादिनी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक से दर्ज कर राज लगान का अंकन भी पृथक–पृथक किया जावे। विवादित आराजी पर रहन [illegible] होने की स्थिति में बैंक चार्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिक्री मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 143/2017 तारीख दायरा 14.03.2017

उनवान

विमला बाई पुत्री भैरूलाल पत्नि स्व. बाबूलाल जाति धाकड निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – वादिनी

बनाम

1. प्रेमशंकर पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।
2. द्वारकालाल पुत्र भैरूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम हींगी तहसील सांगोद।
3. राजस्थानराज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब सांगोद। – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 34, 53, 188 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :– दिनांक :– 12.03.2022

श्री बाबूलाल नागर (वकील वादीगण)

श्री सरकार पैरोकार

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री बाबूलाल नागर मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि –

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम हींगी पटवार हल्का हींगी तहसील सांगोद के माल की खाता सं. 157 के ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. कुल 3 किता की कुल 1.52 है. आराजी स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादिनी को ख.न. 432 की 0.92 है. में से 0.25 है. (पूर्वी हिस्सा) आराजी का खातेदार का खातेदार

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ख.न. 430 की 0.59 है., ख.न. 431 की 0.01 है., ख.न. 432 की 0.92 है. में से 67 है. (पश्चिमी हिस्सा) इस प्रकार कुल 3 किता की 1.27 है. आराजी का खातेदार का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादिनी एवं प्रतिवादीगण के खाते पृथक से दर्ज कर राज लगान का अंकन भी पृथक–पृथक किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:36:03 IST
Reason: SelfAttested